

6

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-०५/२०१९-२०

इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी०एस०सिटी, बोकारो

बनाम्

श्री जगदीश प्रसाद सेन

—: आदेश :—

09.10.2020

प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी०एस०सिटी बोकारो द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत श्री जगदीश प्रसाद सेन पिता-श्री मोतीलाल सेन (ऋणकर्ता) सा०-सेक्टर 9/बी०, क्वा०नं०-128, स्ट्रीट-11 बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

पथम पक्ष इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी०एस०सिटी, बोकारो की ओर से शाखा प्रबंधक द्वारा उपस्थित दजों की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (All part and parcel of the property in the name of Jagdish Prasad Sen consisting of Plot no. 2188, Khata no. 12, area 5.25 Mouza Karharia, Thana Balidih Thana no. 28 Bokaro) को गिरवी रखते हुए बैंक से रुपये 5,00,000.00 (पाँच लाख) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-31.03.2011 को ही एन०पी०ए० हो गया है। वर्तमान में ऋणकर्ता पर कुल रुपये 10,59,922/- एवं ब्याज के साथ अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। अतः उन्होंने SARFAESI ACT-2002 की धारा 14 (1 and 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

J

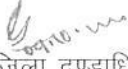


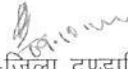
विपक्षी पिछले कई तिथियों से लगातार सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित हैं। अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि विपक्षी ने दिनांक-07.07.2020 को ही शपथ पत्र देकर कहा गया कि वे ऋण चुकाने में असमर्थ है। अतः बैंक में उनके द्वारा गिरवी रखे गए सम्पत्ति को विक्री/निलामी करते हुए ऋण वसूल करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है और न ही उन्हें अपने बचाव में और कुछ भी कहना है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी0एस0सिटी, बोकारो के अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।